भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 453
(दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी खबरों हेतु लोकपाल

453. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कोई कदम उठा रही है; और

(ख) क्या सरकार फर्जी खबरों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों से लोकपाल नियुक्त करने के लिए कहने/करवाने के लिए कोई कदम उठा रही है?

उत्तर
रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") अधिसूचित किए हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित आईटी नियम, 2021 के भाग-II में मध्यस्थ/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ता द्वारा तैयार की गई सामग्री के लिए, ये नियम मध्यस्थों द्वारा समुचित सावधानी का प्रावधान करते हैं तथा ऐसे मध्यस्थों/सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफार्मों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने प्लेटफार्मों के सुरक्षित और विश्वसनीय होने के लिए जवाबदेह हैं और ऐसी कोई भी सामग्री नहीं रखते हैं जो आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(ख) का उल्लंघन करती हो। ये नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों पर नियमों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का दायित्व भी डालते हैं। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक मुख्य अनुपालन अधिकारी भी नियुक्त करना होता है।

*****